



JCL  
Nitya Gupta/RTI



सतर्कता महानिदेशालय

अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, तृतीय तल, होटल सम्राट  
कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली - 110021

फांसं V-500/RTI/141/2020/10675

दिनांक: 11.2020

प्रतिष्ठा मे,

23

श्री रविंदर कुमार, पुत्र श्री बाबू राम,  
डी-54, सैक्टर 6-L, वार्ड नं. 54, नियर संस्कृत स्कूल,  
हनुमान जंक्शन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान-335512.

महोदय,

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गयी सूचना के संदर्भ मे।

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 जो की इस कार्यालय मे दिनांक 12.11.2020 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त आरटीआई आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जीएसटी परिषद, नई दिल्ली से बिन्दु 11 मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है।

2. इस संबंध मे सूचित किया जाता है की मांगी गयी सूचना CBIC के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय तथा DGCI नई दिल्ली से संबंधित है। अतः आपके आरटीआई आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत CBIC के सभी जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय को, ग्रुप-ए अधिकारी के अतिरिक्त, तथा DGCI नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जा रहा है।

पुनः सूचित किया जाता की मांगी गयी सूचना, ग्रुप-ए अधिकारी के संबंध मे, इस कार्यालय की विभिन्न शाखाओ से एकत्र की जा रही है, तथा सूचना प्राप्त होने पर इसे नियत समय में प्रदान कर दिया जाएगा।

3. इस आदेश के खिलाफ अपील श्री मुकेश कुमार पाल, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और संयुक्त आयुक्त (सतर्कता), सतर्कता महानिदेशालय, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, कमरा संख्या- 321, तृतीय तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के समक्ष, इस संचार की प्राप्ति के 30 के भीतर दायर की जा सकती दिनों है।

भवदीय,

18/11

(अमित कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ सहायक आयुक्त(सतर्कता)

प्रति:

(1) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सीबीआईसी के सभी जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय को श्री रविंदर कुमार के आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 की प्रति के साथ बिन्दु (11) मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ।

(2) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, DGCI, 239, Sector 5, C Block, West Block, Rama Krishna Puram, New Delhi, Delhi 110022 को श्री रविंदर कुमार के आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 की प्रति के साथ बिन्दु (11) मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ।

18/11

(अमित कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ सहायक आयुक्त(सतर्कता)

8022  
02.12.2020

राजस्थान सरकार  
वाणिज्यिक कर विभाग  
[www.rajtax.gov.in](http://www.rajtax.gov.in)

पंजीकृत डाक द्वारा

क्रमांक: प.17(119) एसीसीटी/जीएसटी/2019/

दिनांक:

लोक सूचना अधिकारी,  
जीएसटी काउंसिल सचिवालय,  
पांचवा तल, दूसरा टॉवर, जीवन भारती बिल्डिंग, जनपथ रोड,  
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001

**विषय:-** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना भिजवाने बाबत।

**संदर्भ:-** लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग  
राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक प.9(एच)(62)एडम/लोसू/ आयुक्त/  
2020-21/943 दिनांक 08.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र में श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू  
राम, डी-54, सैक्टर 6-एल, वार्ड नं. 54, नियर संस्कृत स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन,  
जिला-हनुमानगढ़ राजस्थान, 335512 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2 के तहत सूचना  
चाही गयी है।

चाही गयी सूचना जीएसटी अनुभाग, राज्य कर राजस्थान में संधारित नहीं की जाती  
है। यह सूचना जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। अतः मूल आवेदन-पत्र मय पोस्टल आर्डर  
47 एफ 006540 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित करते हुए  
निवेदन है कि आवेदित सूचना नियमानुसार आवेदनकर्ता को शीघ्र उपलब्ध कराने का श्रम  
करावें।

संलग्न— पत्रानुसार मय पोस्टल आर्डर

रुपा किंवदं प्रत्युत द्वारा  
द्वारा 16.10  
१/१ (RTI)

(केतन शर्मा)  
विशेष आयुक्त, (जीएसटी),  
वाणिज्यिक कर विभाग,  
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार  
वाणिज्यिक कर विभाग  
[www.rajtax.gov.in](http://www.rajtax.gov.in)

क्रमांक :—प.17( ) एसीसीटी / जीएसटी / 2019 /

दिनांक—

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

- लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर।
- श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू राम, डी-54, सैकटर 6-एल, वार्ड नं. 54, नियर संस्कृत स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला—हनुमानगढ़ राजस्थान, 335512

(केतन शर्मा)  
विशेष आयुक्त (जीएसटी)  
वाणिज्यिक कर विभाग  
जयपुर, राजस्थान।

## सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत)

ACCT(Adm) Hf.

श्रीमान् जी. शूचना अधिकारी  
भूरला भूरला महोका लालगढ़ उपनगर  
पी.एस.टी. विभाग, भूरला बैलोच स्ट्रीट, लालगढ़  
जम्मू

PSI/CC/16838  
06-10-2020

CC  
क्रमांक  
2.52  
N

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना खावत।

PSI/AC/CC/16838  
2591/6-10-2020/618-2020

जागीर सिंह  
क्र. नाम

1. आवेदक का नाम : रवि.कृष्णा
2. पता : रवि.कृष्णा डॉ. शाहराम, ३१८६/५५, रोड०६ लाई०५५, लालगढ़ उपनगर
3. सूचना का दिवरण : निम्न आलेख की एहिलिपी/सूचना तपलद्ध करवाई जाते। फिर.को. ३३५५१२.  
मांगी गई सूचना का व्यौदा (संशोध में)

किसे जाना। से लिंगी० १५ तक जो कांउलिल जानकारी (दूसरों) प्राप्ति दाता।  
१५ जूलाई २०१७ से ३० अगस्त २०२० तक जी.एसी. विभाग की किसी जारी बैलोच के जिला विभागीय कारबाही के दौरान  
किसी भी एवं किसी जारी बैलोच के जारी एवं एस.टी. के विभागीय में गंशीरना  
जा परिवर्तन किया जाता है? जाना।

बाहार सरकार जा विन मांगलग दाता। १५ जूलाई २०१७ से ३० अगस्त २०२० की  
जलस्थि में जी.एस.टी. (वरनु एवं सेवाकर) से कांउलिल किसी भी जिला की  
मालिली, अमीली, लापारीजों जा जागा जाना के राजाजाने जा जाने के लिए  
जो का विभाग की कोडी फॉलिकूल विभागाली प्रश्निला जा विवरणिका का विभाग  
जाता है? अंदि ही तो विभागाली प्रश्निला जा विवरणिका का नाम, विभाग का नाम  
एवं विवरणिका का नाम जारी जाना।

जी.एस.टी. वरनु एवं सेवाकर को जारी जाने का सरकार का उद्देश्य जाता?  
उसी जापार क्षेत्र (एग्ज.) में जाना जाना परिवर्तन होने वे जाना जाता।  
जी.एस.टी. से सरकार जो जानिए कि जिले राजाजिक के रूप में एक नियंत्रकों का  
लैक रखता जा, जानि सरकार को जी.एस.टी. से  
किसी रूपके उत्तरां वाजल तो जो अनुज्ञान वा राजगानी जा  
जी.एस.टी. से जान राजाजिकों के रूप में विभागित किया जाना जाता।  
जाना।

वजा जी.एस.टी. जी.एस.टी. वरनु एवं सेवाकर दुमा है जा - ही जाना।

1) लोकडोउग जानि २५ मार्च २०२० तक १५ मई २०२० तक की अवधि में  
जो किसी विभाग किसी भी जाली, जाली, रोड, जा किल किल जाली, जाली  
जे किसी रूपके जी.एस.टी. (वरनु एवं सेवाकर) लिया जाना जाना।

६) ५ निवास इकाई के द्वारा एवं ८ निवास इकाई, जालनों पर गति देती है, ली. शी. मध्यीन, राह शीरिंग शास्त्री, डी.एस.पी.जी.एम.एल., सन्तुष्टा. आर्थ (MRI) अस्पताल, डिएडीएसीएस ग्राउंड, भवीता टेक्नोलॉजी, नाम स्ट्रीट (द्वारा नाम), धी.पी.टी.टी.टी., गोडो. जालनों की जाल लिखते हैं एवं उनके आपूर्वकालीन नामों की जाल लाली उपकरणों पर कितने उपकरण डी.एस.टी. लाल हैं? गणित क्षमा!

७) निवास विस्त्रित लाल, लोडेज वाले, निवास एवं किंवद्दन की जांच फीस, एवं उपकरणों की जांच जो कि उनकी जाल जालते हैं। कामी आपूर्वकालीन जालों की जाल जो कितने उपकरण और उनमें से रखा जाता है, यानि गहरे रोपा डी.एस.टी. जो कितने उपकरण जारी हैं? गणित क्षमा!

८) सारकारी संस्थानों द्वारा एवं निवास विस्त्रित लाल वालों द्वारा डी.एस.टी. (D.A.T.), और दूसरे संस्थान, इकाई कार्यपाल, सनातन देवी देवी, डी.एस.टी. गोपनकार्यपाल, सन उत्तर निवास विस्त्रित लाल वाले द्वारा उनकी जाल जालते हैं। कामी आपूर्वकालीन जालों की जाल जो कितने उपकरण एवं उनकी जाल जालते हैं, यानि गहरे रोपा डी.एस.टी. जो कितने उपकरण जारी हैं? गणित क्षमा!

९) २७ अगस्त २०२० को डी.एस.टी. पार्षद कामी पालीं बैठक (मीटिंग) में निवास विस्त्रित लाल के मुख्य गंभीर, उपमुख्य गंभीर, वित्त गंभीर जा उनके बाहिनियों में डी.एस.टी. की व्यापार वाहिका के शीघ्र उत्तरानं जी माँग की सज्जन तुम्हारा

१०) व्यापार मंत्री उत्तरानं गोपना में १५ दिसंबर २०१६ से ३० अगस्त २०२० तक दिल्ली के दुखारा रिक्ति की, जो दिल्ली में दूसरे द्वारा उत्तरानं विवाह जी द्वारा डी.एस.टी. लिया जाता है, या डी.एस.टी. द्वारा लिया जाता है? गणित क्षमा,

११) १५ जून २०१७ से ३० अगस्त २०२० तक, डी.एस.टी. से संबंधित कितने उपचारिकारी रिक्ति लेने वे व्यापारों में सकड़े जा रहे हैं? ये व्यापार व्यापार व्यापारों वी द्वारा दिल्ली के दुखारा उत्तरानं

१२) डी.एस.टी. में किल लाल, किल रोपा जी कितने व्यापार जी संबंधित रखता जाता है, इसकी जानकारी। या गोपना, रूप से जहाँ से व्याप ले रावती है, या व्यापारी डी.एस.टी. कार्यालय द्वारा द्वारा उपलब्ध जारी के लिए जिम्मेदार (जोन्क्यू) हैं या नहीं? या निवास विस्त्रित लाल वालों के लिए जिम्मेदार (जोन्क्यू) हैं या नहीं?

१। जून २०१७ से ३० अगस्त २०२० तक, किंवदं राज्य का कितना रुपया  
पी.एस.टी. का, गा. शिष्टी राजि के रूप में जमाए हैं और इनमी  
जा. STT उपलब्ध ना होने पर वहाँ में शिविर, पंजाल, हरियाणा,  
उत्तराखण्ड, गोपनीय राजि का बहावा निकृष्ट रूप से कराया जाए।  
शामिल हो।

२। अरेणा नाल में प्रधानमंत्री उद्घाटन के बाद वहाँ में दोषित किए गए, नियुक्त, दिये गए  
गाले तौन सिलंबद्धों पर पी.एस.टी. (GST) वस्तु एवं सेवाकर लिया जाए है। इसका  
शामिल हो। क्या है?

३। महिला गई रुचना आपके विचारणा का अभियान से संबंधित है, तो वहा  
नहीं रुचना का अधिकार अधिकारियों २००५ की वारा ६(३) का राज्यालय लेते हुए,  
वे उपेक्षण संबंधित लोक रुचना अधिकारी को पांच दिनों की समावासी  
के अन्तिम हस्तांतरित करें। साथ ही अधिकारियों के ताकतवानों के नस्त रुचना  
पलब्ध भरतारे साथ अपेक्षित अधिकारी का नाम एवं परा अवश्य लियो।

— दूसरा दाय।

## ३। विदीह

सिलंबद्ध

प्रधानमंत्री का लालूपाल  
रोड ५१५४, सीमर ६२, लाईज. ५६  
नियर सोलह रुक्कल, हनुमानगढ़, उत्तराखण्ड  
पिला हनुमानगढ़, शाहतान  
पिन कोड - ३३५५१२  
मो.न. ९८४५६२४६६

4. आवेदन शुल्क रुपये १०/- जमा कराने का प्रमाण - इण्डिया पोस्टल अॅर्डर  
नम्बर ४८F ००६५४० ..... दिनांक २९।८।२०२० ..... संलग्न है।

— R. प्रधानमंत्री